अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0–04/2010

(नगर थाना कांड संख्या 104/2010 से संबंधित)

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सदर, छपरा,सारण)

बनाम

मंगरू साह

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
16.04.2015	अपीलार्थी की हाजरी प्राप्त। विपक्षी (जप्त खाद्यान्न के स्वामी/दावाकर्ता) के द्वारा नगर थाना कांड संख्या 104/2010 से संबंधित विचारण संख्या 1387/2013 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 21.08.2013 की सच्ची प्रतिलिपि संलग्न कर जप्त खाद्यान्न की विक्रय राशि विमुक्त करने हेतु आवेदन दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 939/10.09.2010 के द्वारा जप्त खाद्यान्न की विक्रय राशि को कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया हैं। विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी,सारण, छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2013 में विपक्षी मंगरू साह उर्फ राजेन्द्र प्रसाद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी के द्वारा दाखिल कागजात एवं आवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को निर्देश है कि जप्त सामग्री की विक्रय राशि विपक्षी (जप्त सामग्री के स्वामी/दावाकर्ता) को उचित पहचान पर विहित प्रकिया के तहत उपलब्ध कराते हुए अनुपालन प्रतिवदेन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	

इस अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं सशोधित

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक, 272 /न्यायालय, दिनांक 21/4/15

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न कागजात का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपिः- थानाध्यक्ष, नगर थाना छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विपक्षी (जप्त खाद्यान्न का स्वामी/दावाकर्त्ता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

21/4/15